

प्रेषक,

डॉ० दीपक कोहली,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 12 जून, 2020

विषय- जनपद सोनभद्र में हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि० (रेणुसागर पावर डिवीजन) रेणुसागर को 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाइन हेतु हस्तान्तरित 38.2591 हे० आरक्षित वनभूमि को 25 वर्षों (दिनांक 09.02.2016 से दिनांक 08.02.2041 तक) के लिए लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पारेषण/18048/2016)

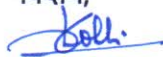
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/04/68/2019/एफ०सी०/244 दिनांक 14.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपत्ति की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-1863/11-सी-यूपी/एफसी/पारेषण/18048/2016, दिनांक 13.03.2020 द्वारा अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गई है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के उक्त पत्र दिनांक 13.03.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर एवं आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(डॉ० दीपक कोहली)
उप सचिव

संख्या-746(1)/81-2-2020-तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को उनके उक्त पत्र दिनांक 13.03.2020 के सन्दर्भ में।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(डॉ० दीपक कोहली)
उप सचिव।